

कानूनी सहायता के लिए उपभोक्ता कानूनी कारवाई कोष आवेदन पत्र

भाग 1 - आवेदक का विवरण

1. नाम (अंग्रेजी): _____
2. एच.के. पहचान पत्र संख्या / पासपोर्ट / यात्रा संलेख पत्र संख्या / सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (कृपया किसी एक को चुने):

एच.के. पहचान पत्र संख्या (पहला अक्षर और उसके बाद के 3 अंक):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
पासपोर्ट / यात्रा संलेख पत्र संख्या (पहले 4 अक्षर / अंक):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (कृपया विवरण दें):				

(आपके आवेदन पत्र का मूल्यांकन और कानूनी करवाई एक गंभीर एवं महत्वपूर्ण मामला है। प्रदान की गई जानकारी और तथ्य सही और सटीक हैं और आवेदक के व्यक्तिगत जानकारी में हैं यह सुनिश्चित करने के लिए, आपको अपनी पहचान की जांच के लिए उपभोक्ता परिषद को अपना पहचान पत्र देना होगा। ऐसा न करने पर आपका आवेदन अनुपयुक्त हो जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।)

3. आवासीय पता:

पत्राचार का पता (यदि ऊपर दिए हुए पते से अलग है):

टेलीफ़ोन: _____ फ़ैक्स: _____

ई-मेल: _____

4. पेशा: _____

भाग 2 मामले का विवरण

5. कृपया अपने मामले को संक्षेप में बताएँ और प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें :-

कृपया उपयुक्त जगह पर 'सही' "✓" का चिह्न लगाएँ।

6. कृपया आवेदन का उद्देश्य बताएँ :-

मुकदमा करना/अपील करना बचाव करना

किसी करवाई को जारी रखने के लिए

(कारवाई संख्या _____ (यदि उपयुक्त हो)

7. क्या आपने पहले भी उपभोक्ता कानूनी कार्रवाई कोष के तहत कानूनी सहायता के लिए आवेदन किया है?

हाँ नहीं

अगर हाँ, तो कृपया विवरण दें: -

8. क्या आपने वर्तमान मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए कानूनी सहायता विभाग में आवेदन किया है?

हाँ नहीं

अगर हाँ, तो कृपया विवरण दें:

लंबित परिणाम

मामला खारिज कर दिया गया

मामले को स्वीकार कर दिया गया

9. क्या आपने कभी भी पुलिस, संबंधित सरकारी विभाग, ब्यूरो या शिकायतों से निपटने वाले न्यायाधिकरण (जैसे लोकपाल का कार्यालय, बीमा शिकायत ब्यूरो) वकील आदि के साथ वर्तमान मामले के संबंध में कोई शिकायत की है या कोई सलाह मांगी है या प्राप्त की है ?

हाँ नहीं

अगर हाँ, तो कृपया विवरण दें: -

10. रेफ़रल का स्रोत: -

स्वयं आवेदन

उपभोक्ता परिषद

रेफ़रल केस संख्या: _____

अन्य: _____

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है। मैं उपभोक्ता कानूनी कार्रवाई कोष ("कोष") के न्यासी के रूप में उपभोक्ता परिषद ("न्यासी") को किसी भी स्रोत से इसकी जांच करने के लिए अधिकृत करता हूँ। मैं इस बात को समझता हूँ कि यदि मैं कोई गलत कथन या गलत अभ्यावेदन प्रस्तुत करता हूँ या यदि मैं इस आवेदन के संबंध में न्यासी को पूर्ण, सत्य और सटीक जानकारी प्रदान नहीं करता हूँ, तो मुझे निधि से कानूनी सहायता प्राप्त करने से तुरंत अयोग्य ठहराया जा सकता है और मुझे दी गई किसी भी कानूनी सहायता को तुरंत समाप्त किया जा सकता है एवं मुझे न्यासी को किसी भी तरह के और सभी नुकसान, लागत, खर्च, दावे, हर्जाने और देनदारियों के खिलाफ, जो इस आवेदन या दी गई कानूनी सहायता के संबंध में न्यासी द्वारा किए जा सकते हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी।

मैं समझता हूँ कि जबकि वादी अपने विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता का इस्तेमाल कर सकते हैं, निधि द्वारा दी गई कानूनी सहायता मध्यस्थता की लागत का भुगतान करेगी या नहीं, यह मामले की प्रगति पर निर्भर करेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

आवेदक के लिए नोट

आवश्यक सूचना

1. इस आवेदन के साथ आवेदन शुल्क या प्रेषण सलाह की प्रति के भुगतान के लिए एक चेक होना चाहिए। भुगतान देय चेक द्वारा "Consumer Council – CLAF Trust Account" में या 808-695282-001 (एच.एस.बी.सी) ("Consumer Council – CLAF Trust Account") पर बैंक हस्तांतरण द्वारा किया जा सकता है।
2. इस आवेदन को जमा करने और आवेदन शुल्क के भुगतान से इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती है कि कानूनी सहायता दी जाएगी। आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं है चाहे आवेदन स्वीकृत हो या न हो।
3. कानूनी सहायता के लिए प्रत्येक आवेदन पर उपयुक्तता और अन्य मूल्यांकन के आधार पर विचार किया जाएगा, जिसमें मामले के गुण-दोष और इसमें शामिल उपभोक्ता हित का स्तर शामिल है। यदि आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो आवेदक को निधि द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता के दायरे, नियम और शर्तों के साथ-साथ एक सहायक उपभोक्ता के रूप में उनकी ज़िम्मेदारियों और दायित्वों को निर्धारित करने के लिए डुप्लिकेट में एक अनुबंध प्राप्त होगा ("सहायक उपभोक्ता के साथ अनुबंध")। निधि से सहायता की स्वीकृति की पुष्टि करने से पहले आवेदक को सहायक उपभोक्ता के साथ अनुबंध और उसकी शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए।
4. यदि कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, तो ऐसी कानूनी सहायता किसी भी समय सहायक उपभोक्ता के साथ किये गए अनुबंध के तहत समाप्त की जा सकती है।
5. **यदि सहायता प्राप्त मामला सफल होता है, तो यह आवेदक का उत्तरदायित्व हैं की वह निधि में योगदान दे। योगदान इस सीमा के अधीन है: लघु (छोटे) दावा न्यायाधिकरण में निर्धारित मामलों के लिए प्राप्त लाभ मूल्य का 25%, और अन्य सभी मामलों के लिए प्राप्त लाभ मूल्य का 50%। योगदान का हिसाब "उपभोक्ता कानूनी कार्रवाई कोष" और "सहायक उपभोक्ता के साथ अनुबंध" वाले पर्चे में दी गई है।**
6. आवेदक न्यासी के किसी कर्मचारी सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्रदान नहीं कर सकता है (1) किसी कार्य को करने, शीघ्र करने, विलम्ब करने या करने से विरत रहने या अपनी क्षमता में किसी व्यक्ति का पक्ष लेने के लिए या अन्यथा प्रलोभन या पुरस्कार के रूप में, और/ या (2) आवेदक और/या आवेदक को दी गई किसी भी सहायता के संबंध में (चाहे आवेदन से पहले, उसके दौरान या बाद में और/या सहायता के प्रावधान) या किसी भी परिस्थिति में न्यासी के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करते

समय, चाहे उसके कारण, इरादे या उद्देश्य जो भी हो, रिश्तखोरी निवारण अध्यादेश के तहत अपराध हो सकता है। "लाभ" में कोई भी उपहार (धन और वस्तु दोनों) लोन, शुल्क, पुरस्कार, कमीशन, कार्यालय, रोज़गार, अनुबंध, सेवा और अनुग्रह शामिल हैं (लेकिन केवल इन्हीं चीज़ों तक सीमित नहीं है)।

सूचना एवं व्यक्तिगत जानकारी

7. इस आवेदन को जमा करते हुए, आवेदक इस बात से सहमत है कि प्रदान की गई जानकारी और व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल इस उद्देश्य (उद्देश्यों) के लिए किया जा सकता है (चाहे आवेदन दिया गया हो, असल हो या वापस ले लिया गया हो):
- (a) कानूनी सहायता के लिए निधि से आवेदक के आवेदन को पूरा करना और आवेदक के साथ संवाद करना;
 - (b) आवेदक की पहचान और आवेदक से संबंधित किसी भी जानकारी और रिकॉर्ड को जांचना;
 - (c) समान परिस्थितियों के अन्य मामलों के साथ किसी भी मिलान प्रक्रिया को पूरा करना;
 - (d) यदि कानूनी सहायता के लिए आवेदन दिया जाता है, तो आवेदक के मामले का संचालन करना;
 - (e) उपभोक्ता परिषद के कानूनी कार्यों का निर्वहन, जिसमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं (i) किसी भी सरकारी या सार्वजनिक निकायों या अधिकारियों और एजेंसियों को जांच या कार्रवाई और/या सलाह देने के लिए इसे जारी करना और प्रदान करना; (ii) इसे न्यासी के चयन की पत्रिकाओं, प्रचार और शिक्षा गतिविधियों, सोशल मीडिया या अन्य माध्यम (चाहे ऑनलाइन या मुद्रित संस्करण) में प्रकाशित करें बशर्ते कि आवेदक की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा, (iii) हांगकांग में और/या अन्य अनुसंधान और सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता हितों से संबंधित मामलों में अध्ययन, उत्पाद/सेवा परीक्षण और/या अनुसंधान करना; और/या (iv) आवेदक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अन्य कार्रवाई करना और आम तौर पर उपभोक्ता जनता के हितों की रक्षा करना जो न्यासी उचित और ठीक समझे;
 - (f) अन्य संबंधित उद्देश्य।
8. आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप इस प्रपत्र में अनुरोध की गई जानकारी (जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो) के साथ-साथ समय-समय पर अनुरोध की गई अन्य प्रासंगिक जानकारी, दस्तावेज़ या सामग्री प्रदान करें, ताकि निधि आपके आवेदन और ऊपर बताए गए उद्देश्यों को पूरा कर सके। यदि आप ऐसी जानकारी, दस्तावेज़ या सामग्री प्रदान नहीं करते हैं, तो निधि और न्यासी आपके आवेदन को स्वीकार या पूरा न करने या आपके आवेदन को अस्वीकार करने का हक रखते हैं।

9. यदि कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, तो आपको सहायता प्राप्त उपभोक्ता के साथ निधि के अनुबंध में सम्मिलित करने के लिए अपना हांगकांग पहचान पत्र संख्या, पासपोर्ट संख्या, यात्रा दस्तावेज़ संख्या और/या सरकार द्वारा जारी अन्य फ़ोटो पहचान पत्रों का विवरण प्रदान करना होगा।
10. आवेदक से एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी को उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज़रूरत से अधिक समय तक नहीं रखा जाएगा, जिसके लिए जानकारी का इस्तेमाल किया जाना है और जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो इसे मिटा दिया जाएगा। व्यक्तिगत जानकारी के प्रतिधारण और विलोपन से संबंधित कोई भी प्रश्न कानूनी सहायक से cc@consumer.org.hk ईमेल द्वारा या 2856.3113 पर कॉल करके किया जा सकता है।
11. उपर्युक्त में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए, न्यासी आवेदन के विषय में शामिल तीसरे पक्षों को प्रदान किए गए विवरण और व्यक्तिगत जानकारी दे सकता है, जिसमें न्यासी द्वारा निर्देशित वकील, आवेदक के मामले में शामिल पक्ष और उनके वकील, समान परिस्थितियों के अन्य मामलों में शामिल पक्ष, और अन्य संबंधित व्यक्ति, संगठन और सरकारी विभागों सहित प्राधिकरण शामिल हैं।
12. आवेदक न्यासी द्वारा अपने बारे में दी गई व्यक्तिगत जानकारी को देखने या सही करने का अनुरोध कर सकता है। न्यासी किसी भी जानकारी को देखने या सुधार करने अनुरोध को पूरा करने के लिए उचित शुल्क ले सकता है। इस तरह के अनुरोध लिखित रूप में Legal Assistant को 22nd Floor, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong.